वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,देहरादून
(उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिनियम 415/2005 द्वारा स्थापित पूर्ववर्ती उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय)
VEER MADHO SINGH BHANDARI UTTARAKHAND TECHNICAL UNIVERSITY, DEHRADUN
(Formerly Uttakhand Technical University Established By Act no. 415/2005 by Uttarakhand Gvoenment)
Chakrata Road P.O. Chandanwadi, Premnagar suddholwal, Dehradun, Uttarakhand (India)
Tel. No. 0135-2774067 Website: www.uktech.ac.in

पत्रांकः 1067 /VMSBUTU/2024 दिनाँकः 29 जून,,2024

सेवा में,

1. प्रो0 ओंकार सिंह, कुलपति, वी0मा0सिं0 भण्डारी, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून
2. डॉ0 एच0एल0 मंडोरिया, निदेशक, डॉ0ए0पी0जे0ए0के0आई0टी,टनकपुर
3. डॉ0, एम0के0 पाण्डा, निदेशक, डब्ल्यू0आई0टी0, देहरादून
4. डॉ0 संजय गैरोला, प्रोफेसर, ई0ई0डी0, जी0बी0पी0आई0ई0टी0, पौड़ी
5. डॉ0 अनिरूद्ध गुप्ता, प्रोफेसर, एम0ई0डी0, बी0टी0के0आई0टी, अल्मोड़ा
6. डॉ0 अजीत सिंह, प्रोफेसर, सी0एस0ई0, बी0टी0के0आई0टी, अल्मोड़ा
7. डॉ0 पी0सी0 गोप, प्रोफेसर, एम0ई0डी0, सी0ओ0टी0, जी0बी0पी0यू0ए0टी0, पन्तनगर
8. डॉ0 गजेन्द्र सिंह, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ मैनेजमैन्ट, दून विश्वविद्यालय, देहरादून
9. कुलसचिव, वी0मा0सिं0 भण्डारी, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून
10. वित्त नियंत्रक, वी0मा0सिं0 भण्डारी, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून
11. परीक्षा नियंत्रक, वी0मा0सिं0 भण्डारी, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून

विषय– **दिनांक 26.06.2024 को आहूत हुई परीक्षा समिति की 38 वीं बैठक के कार्यवृत्त के प्रेषण के संबंध में।**

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक दिनांक 26.06.2024 को विश्वविद्यालय की 38 वीं परीक्षा समिति की बैठक मा0 कुलपति, वी0मा0सिं0भ0 उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। परीक्षा समिति की उक्त बैठक का कार्यवृत्त (विनिश्चय) आपके आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(डॉ0 वी0के0 पटेल)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 कुलपति वी0मा0सिं0भ0, यू0टी0यू0 को कुलपति महोदय के सादर संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. कुलसचिव, वी0मा0सिं0भ0, यू0टी0यू0 देहरादून।
3. वित्त नियत्रंक, वी0मा0सिं0भ0, यू0टी0यू0 देहरादून।
4. परीक्षा समिति के सम्मानित एवं आमंत्रित सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।
5. वेबमास्टर, वी0मा0सिं0भ0, यू0टी0यू0 देहरादून को इस निर्देश के साथ कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड हेतु।

(डॉ0 वी0के0 पटेल)
परीक्षा नियंत्रक

वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून की दिनांक 26.06.2024 को सम्पन्न हुई परीक्षा समिति की 38 वीं बैठक का कार्यवृत्त

वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून की परीक्षा समिति की दिनांक 26.06.2024_ को सम्पन्न 38वीं बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहेः–

1.	प्रो0 ओंकार सिंह, कुलपति, वी0मा0सिं0 भण्डारी, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून	अध्यक्ष
2.	डॉ0 एच0एल0 मंडोरिया, निदेशक, डॉ0ए0पी0जे0ए0के0आई0टी,टनकपुर	सदस्य (आनलाइन)
3.	डॉ0, एम0के0 पाण्डा, निदेशक, डब्ल्यू0आई0टी0, देहरादून	सदस्य
4.	डॉ0 संजय गैरोला, प्रोफेसर, ई0ई0डी0, जी0बी0पी0आई0ई0टी0, पौड़ी	सदस्य
5.	डॉ0 अनिरूद्ध गुप्ता, प्रोफेसर, एम0ई0डी0, बी0टी0के0आई0टी, अल्मोड़ा	सदस्य (आनलाइन)
6.	डॉ0 अजीत सिंह, प्रोफेसर, सी0एस0ई0, बी0टी0के0आई0टी, अल्मोड़ा	सदस्य
7.	डॉ0 पी0सी0 गोप, प्रोफेसर, एम0ई0डी0, सी0ओ0टी0, जी0बी0पी0यू0ए0टी0, पन्तनगर	सदस्य (आनलाइन)
8.	डॉ0 गजेन्द्र सिंह, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ मैनेजमैन्ट, दून विश्वविद्यालय, देहरादून	सदस्य (आनलाइन)
9.	कुलसचिव, वी0मा0सिं0 भण्डारी, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून	विशेष आमंत्रित सदस्य
10.	वित्त नियंत्रक, वी0मा0सिं0 भण्डारी, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून	विशेष आमंत्रित सदस्य
11.	परीक्षा नियंत्रक, वी0मा0सिं0 भण्डारी, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून	सदस्य

परीक्षा समिति की बैठक में डॉ0 आशीष नेगी, प्रोफेसर, जी0बी0पी0आई0ई0टी0, पौड़ी अपरिहार्य कारणों से बैठक में प्रतिभाग नहीं कर सके।

बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व परीक्षा नियंत्रक द्वारा मा0 कुलपति महोदय/अध्यक्ष, परीक्षा समिति सहित समिति के सभी सदस्यों एवं आमंत्रित सदस्यों का स्वागत किया गया जिसके उपरान्त बैठक प्रारम्भ की गयी।

बिन्दु संख्या–38–01

परीक्षा समिति की 37 वीं बैठक के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि।

विनिश्चय– परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा समिति की 37 वीं बैठक दिनांक 06.05.2024 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि एवं अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–38–02–

परीक्षा समिति की 37 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना।

विनिश्चय– परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा समिति की 37 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही एवं गतिमान कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया।

बिन्दु संख्या–38–03–

सम सेमेस्टर 2023–24 परीक्षायें एवं परीक्षाफल की सूचना।

विनिश्चय– परीक्षा नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय की सम सेमेस्टर–2023–24 एवं बैक पेपर परीक्षा मई–जून, 2024 में सम्पन्न हुई। विश्वविद्यालय द्वारा सम सेमेस्टर–2023–24 में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा के सफल सचालन हेतु 59 पर्यवेक्षक तैनात किये गये। परीक्षाओं के सुचारू संचालन एवं नकल विहीन

परीक्षा आयोजित किये जाने हेतु विभिन्न जोन यथा— रूड़की, देहरादून एवं कुमायूं जोन में पर्यवेक्षकों के साथ—साथ 03 उड़न दस्तों (09 सदस्य) नियुक्त किये गये तथा परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं हेतु तीन नोडल सेन्टर यथा—रूड़की क्षेत्र हेतु रामानन्द इन्स्टीयूट हरिद्वार, देहरादून क्षेत्र हेतु विश्वविद्यालय मुख्यालय तथा कुमायूं क्षेत्र हेतु आम्रपाली इन्स्टीटयूट, हल्द्वानी बनाये गये तथा विश्वविद्यालय द्वारा तीन परीक्षा केन्द्र दून इन्स्टीटयूट ऑफ इंजी0 एण्ड टैक्नोलाजी, ऋषिकेश,इन्स्टीटयूट ऑफ होसपिटालिटी मैनेजमैन्ट एण्ड सांइसेज, कोटद्वार एवं रूड़की बिजनेस स्कूल ऑफ फॉर्मेसी, रूड़की को अपने नियंत्रणाधीन में रखते हुए परीक्षा सम्पन्न करायी गयी। संबंधित परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकायें ऑनलाइन स्कीन मूल्यांकन गतिमान के साथ—साथ MBA पाठ्यक्रम की उत्तर पुस्तिकायें छात्रों हेतु ऑनलाइन स्कीन मोड पर प्रदर्शित की गयी और MBA Integrated एवं BHMCT का परीक्षाफल घोषित किया गया है। परीक्षा समिति द्वारा समस्त कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या—38—04

समर सेमेस्टर परीक्षा के रजिस्ट्रेशन हेतु प्रति विषय शिक्षण शुल्क निर्धारण।

विनिश्चय— परीक्षा समिति को अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय में प्रभावी ऑर्डिनेन्स के अनुसार विगत वर्ष की भॉति सत्र 2023—24 की परीक्षा परीक्षाफल घोषित के उपरान्त प्रोन्नति हेतु न्यूनतम केडिट अर्जित करने के लिये विशेष कक्षायें संचालित करते हुए समर सेमेस्टर सम्पन्न किया जाना है, लेकिन समर सेमेस्टर हेतु शुल्क निर्धारित नहीं है। परीक्षा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि समर सेमेस्टर मात्र थ्योरी विषयों की कक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन हेतु रू0 5000/— (रूपये पांच हजार मात्र) प्रति विषय संस्थान को भुगतान किये जाने पर सहमति प्रदान करते हुए इसे विश्वविद्यालय की आगामी वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।

बिन्दु संख्या—38—05

समर सेमेस्टर परीक्षा हेतु प्रति विषय परीक्षा शुल्क निर्धारण।

विनिश्चय— परीक्षा नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा गत वर्ष समर सेमेस्टर परीक्षा सम्पन्न करायी गयी थी एवं समर सेमेस्टर हेतु परीक्षा शुल्क रू0 500/—(रूपये पांच सौ मात्र) लिया गया था जो कि बैक पेपर हेतु निर्धारित है। समर सेमेस्टर परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या कम होने के कारण पेपर सैटर एवं मूल्यांकन कार्य में अत्यधिक व्यय होने के कारण समर सेमेस्टर परीक्षा हेतु प्रति विषय

परीक्षा शुल्क स्पेशल बैक पेपर की भाँति रू0 2000/– लिये जाने (रूपये दो हजार मात्र) पर सहमति प्रदान करते हुए निर्णय लिया गया कि समर सेमेस्टर एवं स्पेशल कैरी ओवर पेपर सम्पन्न कराने के संबंध में वांछित निर्णय हेतु मा0 कुलपति महोदय अधिकृत किया गया।

बिन्दु संख्या–38–06–

Short Attendance के कारण परीक्षा से वंचित छात्रों को प्रथमबार Detention के कारण समर सेमेस्टर के साथ अध्ययन करते हुए अपनी उपस्थिति नये सिरे से पूर्ण करते हुए परीक्षा दिलाने पर विचार।

विनिश्चय–

परीक्षा नियत्रंक द्वारा समिति को अवगत कराया गया है कि सम सेमेस्टर–2023–24 की परीक्षा में UMS पर उपलब्ध संकलित उपस्थिति के आधार पर यथा प्रभावी आर्डिनेन्स में निर्धारित उपस्थिति न होने की दशा में Short Attendance के कारण कतिपय संस्थानों के विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा से वंचित कर दिया गया। तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा UMS पर उपस्थिति की गणना में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने के कारण निदेशक के व्यक्तिगत रूप से समुचित विवरण देते हुए छात्रों के न्यूनतम उपस्थिति धारित करने के शपथ पत्र पर प्रवेश पत्र निर्गत करते हुए प्रोविजनल आधार पर परीक्षा में सम्मिलित कराया गया । जिसकी पुनः पुष्टि करायी गयी है। पुष्टि हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दो समिति गठित की गयी । समिति द्वारा छात्रों की न्यूनतम उपस्थिति धारित करने के समुचित प्रमाण एवं साक्ष्य (विशेष कक्षायें लिये जाने के प्रमाण स्वरूप जारी नोटिस, कक्षा में होने के प्रमाण, छात्रों के उपस्थिति के प्रमाण, तिथिवार Class Note आदि का संबंधित विषय शिक्षक से प्रमाणित प्रति कमेटी के समक्ष दिनांक 21 एवं 22 जून को उपस्थित हुए। कतिपय संस्थान साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित नहीं हुए।

परीक्षा समिति द्वारा विश्वविद्यालय में प्रथमबार उपस्थिति के आधार पर छात्रों को Detain किये जाने के दृष्टिगत अपवाद स्वरूप मात्र Academic Session 2023–24 के Short Attendance के कारण परीक्षा से वंचित छात्रों को समर सेमेस्टर में अध्ययन करते हुए अपनी उपस्थिति नये सिरे से पूर्ण करते हुए अध्ययन कर परीक्षा दिलाने हेतु सहमति प्रदान की गयी। समिति द्वारा यह भी निर्देश दिये गये है कि जिन संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा गठित समितियों के समक्ष उपरोक्त दस्तावेज उपलब्ध नही कराये गये है उनको 01 एवं 02,जुलाई, 2024 को उपस्थित हो अन्यथा उनकी परीक्षा निरस्त किये जाने के निर्देश दिये गये है। परीक्षा समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि Detained छात्रों को समर सेमेस्टर की अपवाद स्वरूप दी जा रही सुविधा को भविष्य में दृष्टान्त नहीं माना जायेगा तथा Detained छात्रों को Ordinance के प्राविधानों Re-admission/Ex-Studentship जो भी प्रभावी हो की श्रेणी में रखा जायेगा।

बिन्दु संख्या–38–07

विनिश्चय–

मूल्यांकन कार्य में समुचित सहयोग न मिलने के संबंध में।

विश्वविद्यालय के सम सेमेस्टर–2023–24 परीक्षा का मूल्यांकन कार्य गतिमान है। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों द्वारा मूल्यांकन कार्य में समुचित सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा है जिससे मूल्यांकन कार्य प्रभावित हो रहा है के संबंध परीक्षा समिति द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी संस्थान निदेशकों को अपने–अपने संस्थानों में स्थापित कम्प्यूटर लैब के माध्यम से पूर्वान्ह 09:00 बजे से सांय 5:00 बजे मूल्यांकन कार्य सम्पन्न कराया जाये। जिन संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय के निर्देशों के बाद भी मूल्यांकन कार्य में सहयोग नहीं दिया जाता है उन संस्थानों के शिक्षकों को परीक्षा नियत्रंक द्वारा उड़न दस्ते, पर्यवेक्षक, प्रयोगिक परीक्षक व अन्य दायित्वों पर नियुक्ति न की जाय। उक्त के अतिरिक्त विश्वविद्यालय व छात्रों के हित में परीक्षा नियंत्रक मा0 कुलपति महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर अन्य कार्यवाही करेंगे।

बिन्दुसंख्या–36–08–

विनिश्चय–

संस्थाओं द्वारा सैत्रिक एवं प्रयोगिक अंक प्रेषण में होने वाले विलम्ब के संबंध में।

परीक्षा नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों द्वारा सैत्रिक एवं प्रायोगिक अंकों को विश्वविद्यालय को विलम्ब से उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे परीक्षाफल तैयार करने में विलम्ब होने के साथ–साथ समय लगता है एवं छात्रों के मध्य विश्वविद्यालय की छवि अत्यधिक खराब होती है। इस संबंध में परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि जिन संस्थानों द्वारा सेशनल एवं प्रायोगिक अंक विश्वविद्यालय पोर्टल में अपलोड/हार्ड कापी समय से नहीं किया जाता है तो उनके संस्थानों का परीक्षाफल घोषित न किया जाय। साथ ही यदि संस्थान स्तर पर उन छात्रों का सेशनल एवं प्रायोगिक अंक शुल्क संबंधी कोई Issue हो तो पोर्टल में ऐसी व्यवस्था की जाय उसमे जीरो या Absent प्रदर्शित करे। समिति द्वारा यह भी निर्देश दिये गये है कि आगामी सेमेस्टर से संस्था स्तर से दिये जाने वाले सेशनल एवं प्रायोगिक अंक सैद्धान्तिक परीक्षा के प्रवेश पत्र निर्गत कराने से पहले ऑनलाइन व हार्ड कापी विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य किया जाय तथा संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कलेण्डर में इंगित अन्तिम शिक्षण दिवस के बाद निर्धारित तिथि तक संस्था स्तरीय समस्त अंक न जमा किये जाने की दशा में उनके छात्रों के प्रवेश पत्र संस्था स्तरीय समस्त अकों की प्राप्ति तक रोके जायें।

बिन्दु संख्या–38–09– Ordinance के Re-admission एवं Promotion clause **के प्राविधानों को स्पष्ट करने के संबंध में।**

विनश्चय

परीक्षा नियंत्रक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि विभिन्न तकनीकी एवं लॉ पाठ्यक्रम जैसे–B.Tech, M.Tech, BHMCT, MBA, MBA Integrated हेतु 2022–23 से प्रभावी आर्डिनेन्स में दी गयी व्यवस्था प्राविधानों को नियमानुसार स्पष्ट करते हुए निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया। "Promotion हेतु Minimum Eligibility Criteria" पूर्ण करने के साथ–साथ यदि छात्र/छात्रा संदर्भित Academic Session के दोनो सेमेस्टर परीक्षाओं में Appear होता है तथा साथ ही उस छात्र/छात्रा के दोनों सेमेस्टर के आंतरिक थ्योरी एवं प्रायोगिक सेशनल अंक Continuous Assessment करने के पश्चात प्रदान किये जाते है, तो उसी परिस्थिति में छात्र/छात्रा अग्रिम कक्षा में Promotion हेतु पात्र हैं। किसी भी परिस्थति में यदि छात्र/छात्रा का किसी भी सेमेस्टर का यदि संस्थान द्वारा उस सेमेस्टर के समस्त विषयों के सेशनल अंक प्रदान नहीं किये जाते है, उस स्थिति के वह छात्र Promotion का पात्र न होते हुए मात्र Re-admission का पात्र होगा।

यदि छात्र/छात्रा का संस्थान द्वारा संबंधित Academic Session के दोनों सेमेस्टर में सेशनल अंक प्रदान किये जाते है तथा वह छात्र/छात्रा दोनों सेमेस्टर की परीक्षा में Appear होता है परन्तु वह Minimum Cumulative Credit नहीं दर्ज कर पाता है, वह समर सेमेस्टर का पात्र है तथा यदि वह समर सेमेस्टर परीक्षा में वह भाग नहीं लेता है या यदि समर सेमेस्टर परीक्षा देने के पश्चात भी न्यूनतम Cumulative Credit नहीं प्राप्त करता है तो ऐसी परिस्थिति में छात्र के पास Re-admission अथवा Ex -Student Ship का विकल्प मौजूद है।

किसी छात्र/छात्रा के संदर्भिक शैक्षणिक सत्र में दोनो सेमेस्टर के सेशनल अंक विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराये जाने के बावजूद यदि छात्र किसी भी सम्पूर्ण सेमेस्टर परीक्षा देने में असमर्थ रहता है अथवा किसी कारण से Detain किया जाता है तो ऐसे छात्र न्यूनतम केडिट धारित करने अथवा न धारित करने के दोनो परिस्थितियों में Re-admission अथवा Ex -Student Ship के पात्र होगें, के प्रस्ताव पर परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदन किया।

बिन्दुसंख्या–38–10– **अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु**

बिन्दु संख्या–38–10.1 **विश्वविद्यालय सम्बद्ध कतिपय लॉ संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों की यू0जी0सी0 मापदण्ड के अनुसर शैक्षिक योग्यता के संबंध में**

विनिश्चय– परीक्षा नियंत्रक द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया है कि सी0एम0 पोर्टल पर शिकायत की गयी है कि कतिपय लॉ संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता यू0जी0सी0 के मापदण्ड में आधार पर न होने पर भी विश्वविद्यालय द्वारा उन शिक्षकों को सेमेस्टर परीक्षाओं में पर्यवेक्षक, मूल्यांकनकर्ता आदि नियुक्त किया जाता है। इस कम में सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति द्वारा निर्देश दिये गये है कि लॉ या अन्य संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता यू0जी0सी0 के मापदण्ड के अनुसार से विश्वविद्यालय पोर्टल में आवश्यक रूप से अपलोड करायी जाय, जिससे किसी भी प्रकार की शिकायते प्राप्त न हो। साथ ही परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि सम्बद्धता के समय संस्था द्वारा जो शिक्षक सूची विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराते हुए अनुमोदित करायी जाती है उसे ही Faculty के रूप में UMS Portal पर पंजीकृत करने की अनुमति दी जाये। संस्था स्तर से किसी भी शिक्षकों के नाम में बदलाव होने पर पृथक से विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही शैक्षणिक कार्यो में लगाया जाय और UMS पर उपलब्ध शिक्षकों को तथा बाह्य संस्थाओं से मात्र अर्ह शिक्षकों को ही परीक्षा कार्यो में लगाया जाय।

अन्त में परीक्षा समिति की 38 वीं बैठक अध्यक्ष महोदय व सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

26/06/2024
(डॉ0 वी0के0 पटेल)
परीक्षा नियंत्रक–सदस्य

26/6/24
(डॉ0 ओंकार सिंह)
मा0 कुलपति–अध्यक्ष